

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

II संकल्प II

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 46284.95 लाख रू0 (चार अरब बासठ करोड़ चौरासी लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित है। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPS) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये State Annual Action Plan (SAAP)-II पर भारत सरकार के Apex Committee की सहमति प्राप्त है। SAAP-II के अनुसार राज्य के 07 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इनमें से बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPS) के समक्ष रखा गया। SHPS द्वारा दिनांक-02.02.17 को विमर्शोपरांत उक्त पांच जलापूर्ति योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। वित्त विभाग के द्वारा 20 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराने का परामर्श दिया गया है। उक्त के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-15.02.17 को सम्पन्न बैठक में मद सं0 34 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. AMRUT योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के प्राक्कलित राशि का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा और 20% का वहन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(राशि लाख रू0 में)					
क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश की राशि 50%	राज्यांश की राशि 30%	नगर निकाय का अंशदान 20%
1	बेतिया जलापूर्ति योजना	9725.00	4862.50	2917.50	1945.00
2	सासाराम जलापूर्ति योजना	8472.21	4236.105	2541.663	1694.442
3	डेहरी जलापूर्ति योजना	8286.18	4143.09	2485.854	1657.236
4	कटिहार जलापूर्ति योजना	10510.46	5255.23	3153.138	2102.092
5	सहरसा जलापूर्ति योजना	9291.10	4645.55	2787.33	1858.220
	कुल-	46284.95	23142.475	13885.485	9256.99

4. उक्त जलापूर्ति योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद (BRJP) होगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। राज्यांश मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।
5. AMRUT योजना के अधीन सभी योजनाओं का चयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया गया है तथा इसे संबंधित नगर निकाय के बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकाय द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिया गया है एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी दे दिया गया है।
6. इस योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकाय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास कर राष्ट्रीय मानक के स्वच्छ पेय जलापूर्ति किया जाना है। इस योजना को अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस जलापूर्ति योजनान्तर्गत संबंधित नगर निकायों के लगभग 94959 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रावधान है कि योजना पूर्ण होने के उपरांत संवेदकों द्वारा अगले 5 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाएगा। उसके बाद नगर निकायों द्वारा संधारण किया जाएगा।
7. बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1.	बेतिया जलापूर्ति योजना	18Nos Tube wells, Rising main 21000M Storage Reservoirs-6Nos of total 6300KL Capacity, Distribution Pipe line-197.43km. HH Connection-21864(100%) SCADA-yes.
2.	सासाराम जलापूर्ति योजना	5Nos Tube wells, Rising main 24.723KM Storage Reservoirs-7Nos of total 6100KL Capacity, Distribution Pipe line-131.425km. HH Connection-5159, SCADA-yes.
3.	डेहरी जलापूर्ति योजना	14Nos Tube wells, Rising main 3000M Storage Reservoirs-6Nos of total 10200KL Capacity, Distribution Pipe line-132.90km. HH Connection-18341, SCADA- yes.
4.	कटिहार जलापूर्ति योजना	16Nos Tube wells, Rising main 1560M Storage Reservoirs-5Nos of total 9800KL Capacity, Distribution Pipe line-219.072KM. HH Connection-21226, SCADA- yes.
5.	सहरसा जलापूर्ति योजना	16Nos Tube wells, Rising main 1200M Storage Reservoirs-7Nos of total 5448KL Capacity, Distribution Pipe line-189.584km. HH Connection-28369, SCADA- yes.

8. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 46284.95 लाख रू0 (चार अरब बासठ करोड़ चौरासी लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/-
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-21-03/2015

/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-03/AMRUT-21-03/2015

484

/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक 20/3/17

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/सभी संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2017
सरकार के प्रधान सचिव।